

द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2019-20 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
458	आयुक्त, छत्तीसगढ भवन नई दिल्ली का कार्यालय	3000000
680	राज्य शासन का अंशदान	3000000000
0110	अशासकीय विद्यालय को अनुदान-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	99855000
0134	अनुरक्षण और मरम्मत - साधारण मरम्मत	115000000
0307	अशासकीय संस्थाओं को अंशदान	181161200
0578	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	244562000
0583	उच्चतर माध्यमिक शालाएं	160638000
1352	चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	11400000
1395	छात्रावास	100 *
1468	जिला एवं संभागीय स्तर	700000
1473	जिला चिकित्सालय	25000000
1479	जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना	51500000
2320	निर्देशन और प्रशासन	108500100
2502	परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	147484000
2668	पोलीटेक्निक संस्थाएं	200 *
2710	प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधिनस्थ कार्यालय	63200

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1

द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2019-20 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
2772	प्राथमिक शालाएं	128570000
279	अभियोजन संचालनालय	100000
337	आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण	25000000
3370	संचालनालय उद्योग	10760000
3428	महाधिवक्ता	2047000
3463	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	40094000
3490	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	2500000
3491	माध्यमिक शालायें -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	202033000
3492	माध्यमिक शालाएं	225483000
3598	मोटर गैरैज	25800000
3673	राज्य छात्रवृत्तियां	237875000
3803	लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं	100000000
3855	लोक निर्माण कार्य - भवन	100 *
4043	विमानन संचालनालय	530000000
4060	विविध संस्थाओं को अनुदान	10000000
4327	सचिवालय	11500000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 2

द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2019-20 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
4396	सरकारी प्राथमिक शालाएं -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	128462000
4485	सामान्य प्रशासन विभाग - भवन	5299000
4491	सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	71200000
4544	सी. आई. डी. (इकानामिक आफेंसेस)	3900000
458	आयुक्त, छत्तीसगढ भवन नई दिल्ली का कार्यालय	9200000
4855	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	2561400000
4968	चिकित्सा महाविद्यालय	10500000
5049	राज्य विधान मण्डल	100 *
5079	विशेष जांच आयोग	3200000
5205	रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	100 *
5216	हाई स्कूल	11525000
5376	इलेक्ट्रानिक मीडिया से प्रचार-प्रसार	50000000
5403	पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	25200000
5435	प्रशासन अकादमी	10700000
5461	एन्टी करप्सन ब्यूरो	1000000
5480	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275 (१))	571316000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 3

द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2019-20 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
5640	उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण	100 *
5672	बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना	60000000
5716	हिन्दी ग्रंथ अकादमी	1000000
5753	समारोह हेतु अनुदान	100 *
578	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	100000
5904	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	1209351000
6222	न्याय प्रशासन के आवासगृह का निर्माण	500 *
6351	राज्य खेल महोत्सव	100 *
6353	चिराग योजना (2401)	70000000
6354	बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-II	100000000
6356	फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो	100000000
6357	छत्तीसगढ़ भवन निर्माण, मुम्बई	100 *
6358	अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण	3000000
6359	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान	10000000
6360	राम वन गमन पथ निर्माण एवं उन्नयन	50000000
6361	रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान की स्थापना	10000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 4

द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2019-20 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
6362	डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना	300 *
6363	मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	300 *
6366	कृषक सहायता	30000000
6717	प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय	50000000
6885	प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना	783000
6908	कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय	144900000
6996	चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़	32000000
6997	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़	100 *
717	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	83400000
7238	इंदिरा कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़	100 *
7241	नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास	100 *
7290	बस्तर विश्वविद्यालय	100 *
7305	5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान	5000000000
7353	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	215000000
7428	छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम १९८२ के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण	209043000
7429	छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये स्टाम्प शुल्क का अंतरण	594502000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 5

द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2019-20 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
7434	मात्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा हेतु अनुदान	16930000
7438	स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन	15437000
7475	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	300 *
7490	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	100 *
7610	स्वच्छ भारत अभियान	179500000
7620	उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	4244200000
7644	ग्रामीण सड़क सम्पर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र	100 *
7656	दुर्ग विश्वविद्यालय	100 *
7675	चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	6350826000
7678	सहकारी संस्थाओं के लिये अंशपूंजी	60000000
7680	आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक	37000000
7700	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सिपेट)	3300000
7706	अमृत मिशन	3000000000
7713	जैव प्रौद्योगिकी प्रोन्नत सोसायटी की स्थापना	10000000
7719	सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय, रायपुर	10000000
7765	मुख्यमंत्री अमृत योजना	110000000
7845	नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना	250000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 6

द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2019-20 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
7861	संचार क्रांति योजना	1000000000
7947	एन.एम.एस.ए. अन्तर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांसमिशन	40000000
7972	घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत	2820000000
7979	समग्र शिक्षा	4000000000
8040	जेल भवनों का निर्माण	20000000
8659	अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	117200000
8909	पत्रकार सम्मान निधि	350000
8928	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	10000000
8939	चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव	765000100
8940	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय सरगुजा	100 *
8941	चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	500000000
8950	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय जगदलपुर	300 *
8957	नोनी सुरक्षा योजना	20000000
8971	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	99250200
8972	धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	2070000000
8979	एकीकृत अम्ब्रेला योजना	891883000
9044	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	1545975000
9050	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	8500000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 7

द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2019-20 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
9059	घरेलु कर्मचारी (भारित)	4296121
9064	मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान	23000000
9261	अन्य व्यय	28862000
9262	जिला सैनिक बोर्ड	216000
938	केन्द्रीय तथा जिला जैले	6226100
9948	विश्व विद्यालय पेन्शन भुगतान योजना	73600000

योग

45468161521